



82

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/श्रुश/2017/3560

प्र.कं.-

1

श्रीमती प्रेम बाई पत्नि श्री नंदकिशोर

आयु वयस्क निवासी-रासलाखेडी

विदिशा रोड भानपुर भोपाल

..... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. नन्नूलाल पुत्र रामकिशन (मृत)
वैधानिक उत्तराधिकारी
क. काशीराम आ. स्व. नन्नूलाल
आयु वयस्क निवासी-गोया कॉलोनी
करौंद भोपाल
ख. ओमप्रकाश आ. स्व. नन्नूलाल
आयु वयस्क निवासी-मुगालिया हाट
परवलिया सडक तहसील हुजूर
जिला भोपाल
ग. कैलाश आ. स्व. नन्नूलाल
आयु वयस्क निवासी-रतन कॉलोनी
करौंद भोपाल
2. उमराव सिंह पुत्र रामकिशन
3. रतीराम पुत्र रामकिशन (मृत)
वैधानिक उत्तराधिकारी
अ. रामबाबू आ. स्व. रतीराम
ब. राजू आ. स्व. रतीराम
स. सावित्री बाई पत्नि स्व. रतीराम

श्री. रतीराम सिंह निवासी
द्वारा आज दि. 27/9/17 को
परिचुत

व. नन्नूलाल
नगरिक ऑफिसर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

CP-4/10/17

श्री. नन्नूलाल
27/9/17

(Signature)

सभी निवासीगण-हाट मुगालिया

परवलिया सडक भोपाल

द. सुनिता बाई पुत्री स्व. रतिराम

पत्नि विनोद आयु वयस्क

निवासी-टीला जमालपुरा भोपाल

4. अमान सिंह पुत्र रामकिशन

5. श्यामलाल पुत्र रामकिशन

सभी आयु वयस्क

सभी निवासी-ग्राम परवलिया सडक

मुगालिया हाट तहसील हुजूर

जिला भोपाल

..... उत्तरदातागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता
1959

उक्त निगरानी अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अपील/13-14 में पारित आलोच्य अन्तरिम आदेश दिनांक 19/06/2017 के विरुद्ध दूखित एवं परिवेदित होकर ज्ञान दिनांक 24/07/2017 से समयवधि में प्रस्तुत की जा रही है :-



निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता के पिता स्वर्गीय रामकिशन पुत्र कल्ला के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम मुगालिया हाट तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसका खसरा क्रमांक 290, 291/1(क) रकबा 6.53 एकड़,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/3560

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> 21/32</p> <p> अध्यक्ष</p>	